

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) प्रतापगढ़(राज)

आदेश



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक शिदिरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/शा0शिक्षक-ग्रेड III/सी0पी0/बो-1/2017-18 दिनांक 18.02.2021 द्वारा टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सन्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिविधाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर के अनुमानुसार देय नियत मानदेय 237000 प्रतिमाह अक्षर तैईस हजार सात सौ रु (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :-प 8(1) कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वरिष्ठ संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं राक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी0ओ0पी0/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 / - रूपदे के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तत्संबंधी आशय का 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दरतावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाप्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टी करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए एवं नियमानुसार राक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि 'अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रोमिलेयर का नहीं है तथा उक्त राक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।' यदि कोई अभ्यर्थी क्रोमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र/नियुक्ति आदेश चरपा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चरपा है।
10. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञापित के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगी।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवम् आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेंगे।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ12(9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।

लगातार-2

26/02/21

13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेये कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटीपूर्ण, इनके जाली अथवा कुट रचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
14. इन कार्मिकों को परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परीक्षाधीन अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि, की कटौतिया नियमानुसार नहीं होगी।
15. आशार्थी के परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
16. परीक्षाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकरिगक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञा दी जावेगी।
17. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

- सक्षम चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की सत्यापित प्रतियां
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
- आवेदक द्वारा धूमपान/गद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 09.03.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवम् शाला/दुर्गण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

(किशनलाल कोली)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक प्रतापगढ़

क्रमांक-जिशिअ/माध्यमु/प्रताप/संस्था/शाशि ग्रेड-।।।।/नियुक्ति/2021/1824 दिनांक 26.2.21

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
 2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
 3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
 4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
 5. श्रीमान सचिव कर्मचारी चयन आयोग जयपुर।
 6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
 7. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर।
 8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा प्रतापगढ़।
 9. श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
 10. संबंधित पीईईओ.....।
 11. संबंधित संस्था प्रधान.....।
 12. संबंधित आशार्थी।
 13. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
 14. रक्षित पत्रावली

26/02/21
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक प्रतापगढ़




कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) प्रतापगढ़

1824

दिनांक: 26/02

26/02/2021

क्रमांक—विशेष / माध्यम / प्रताप / संस्था / शासि श्रे. 1111 / नियुक्ति / 2021 /

Sl. No.	MERIT	NAME	FN. NAME	DOB	DATE	SEL. CAT	ADDRESS	स्कूल का नाम	शासक का चाली
1	15560	HARLAL	SARDAR SINGH	10/07/1997	ST	ST	VILLAGE SAREDI MIHAN POSI SUWALA THE RAGIDORA DISTT BANSWARA 327601	GUPS Kharhada Arnod	
2	15888	BHERUJAL CHARPOTA	VITHLUJI CHARPOTA	05/05/1982	ST	ST	V/ AMARTHUN THE GHATOL DISTT BANSWARA PIN 327023	GOVT. SECONDARY SCHOOL JAGLAWADA	
3	15897	MANSHANKER DAMOR	SHANTILAL DAMOR	25/12/1987	ST	SI	VILLAGE BILPAN POST POHRI PATELAN THE JHOTIARI DISTT DUNGARPUR 314402	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHANDALA	

(Handwritten signature)
26/02/21

(विश्वनाथ कोर्की)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़